

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015—चैत्र 6, शक 1937

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. एफ.-2-1-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (इकतालीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भूमि व्यववर्तन नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है. जो, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 जनवरी, 2015 में पूर्व में ही प्रकाशित किए जा चुके हैं.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उप-नियम (3), (4) एवं (5) का लोप किया जाए.

2. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“10 (1) यदि कोई भूमिस्वामी अपने खाते की भूमि या उसका अंश व्यपवर्तित कराना चाहता है और,—

(क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के अधीन उपखण्ड अधिकारी को अनुज्ञा के लिये आवेदन करता है और जो अनुज्ञा दे देता है या उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञा दे दी गई समझी गई हो; या

(ख) उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (1) के द्वितीय या तृतीय परन्तुक के अंतर्गत अपने आशय की लिखित सूचना उपखण्ड अधिकारी को दे देता है,

तो उपखण्ड अधिकारी, उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन प्रीमियम के अधिरोपण और निर्धारण के पुनरीक्षण के लिये बनाए गए नियमों के अधीन मामले को पंजीकृत करेगा और आवेदक को इन नियमों से संलग्न प्ररूप-क में लिखित में इसकी सूचना देगा और पंजीकृत किए गए मामले का, उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसके पंजीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर विनिश्चय करेगा.”

3. नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-क  
(नियम 10 के अधीन)

(भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के अधीन मामले के पंजीकरण की सूचना)

कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, ..... जिला ..... मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
निवासी .....  
डाकघर .....  
तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश

**विषय :—**भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारण हेतु व्यपवर्तन के मामले के पंजीकरण की सूचना.

आपकी सूचना के अनुसार आपको यह संसूचित किया जाता है कि ग्राम ..... पटवारी हल्का नं. ....  
राजस्व निरीक्षक वृत्त नं. .... तहसील ..... जिला ..... की आपके  
द्वारा धारित भूमि, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए  
गए आवेदन/सूचना के अनुसार जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ/हुई है, ऐसे आवेदन/ऐसी सूचना के आधार पर, व्यपवर्तित कर दी गई  
समझी जाकर उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रीमियम के अधिरोपण तथा निर्धारण के पुनरीक्षण के  
लिए मामला इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक ...../20. . . पर पंजीकृत कर लिया गया है.

स्थान :

तारीख :

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

.....  
जिला .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. एफ-2-1-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-1-2013-सात-शा. 6, दिनांक 26 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> March 2015

No. F 2-1-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xli) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Diversion of Land Rules 1962. The same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 8<sup>th</sup> January, 2015 as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code.

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Sub-rule (3), (4) and (5) of rule 4 shall be omitted.
2. For rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

“10. If a Bhumiswami wishes to divert his holding or part thereof and,—

- (a) applies for permission to the Sub-Divisional Officer under section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and who grants the permission or the permission is deemed to have been granted under first proviso of sub-section (1) of Section 172 of the said Code; or
- (b) gives a written information of his intention to the Sub-Divisional Officer under second or third proviso of sub-section (1) of Section 172 of the said Code;

the Sub-Divisional Officer shall register a case under the rules made under section 59 of the said Code for imposition of premium and alteration of assessment and intimate it, in writing to the applicant, in Form-A appended to these rules and shall decide the case registered, in accordance with the rules made under section 59 of the said Code, within thirty days from the date of its registration.”

3. After rule 12, the following Form shall be added, namely :—

“FORM-A  
(under rule 10)

(Intimation of registration of the case) under section 59 of the Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)  
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER . . . . . DISTRICT . . . . . MADHYA PRADESH

To,

Shri/Smt/Ku . . . . .

Son/Daughter/Wife of . . . . .

Resident of . . . . .

Post Office . . . . .

Tehsil . . . . . District . . . . . Madhya Pradesh).

**Sub :** Intimation of registration of case of diversion for assessment. Under rules made under section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

According to your intimation, it is communicated to you that the land bearing Khasra No. . . . . .  
admeasuring . . . . . Hectare of Village . . . . . P. H. No. . . . . . R. I. Circle No. . . . . .  
Tehsil . . . . . District . . . . . belonging to you as per your application/intimation presented  
under sub-section (1) of Section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) has  
been received in this Court and on the ground of deemed diversion/such intimation, such land has been diverted  
and a case for imposition of premium and alteration of assessment as per rules made under section 59 of the said  
Code has been registered as case No. . . . . . /20 . . . . . of this Court.

Place :

Dated :

Seal

Sub-Divisional Officer

.....

District . . . . .”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN TIWARI, Principal Secy.